<u>न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।</u>

पीठासीन अधिकारी–**अमित कुमार पाण्डे**

उच्चतर न्यायिक सेवा– UP06246

सत्र परीक्षण संख्या–73/2024

<u>राज्य बनाम हसनैन आदि</u>

<u>दिनांक–16.08.2024</u>

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्तगण मो० सऊद, मो० सफात, मो० समीर, अय्युब उर्फ बाबू खां तथा हसनैन उपस्थित है। मैंने विद्वान लोक अभियोजक तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को आरोप विरचित किये जाने के बिन्दु पर सुना।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा प्रश्नगत घटना से सम्बन्धित तथ्यों एवं अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए यह तथ्य अभिकथित किया गया कि वह अभियुक्तगण से सम्बन्धित आरोप को किस साक्ष्य से साबित करने के लिए प्रस्थापना करते है। विद्वान लोक अभियोजक तथा अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं तर्को पर सम्यक सुनवाई व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विचारोपरान्त मेरी राय में ऐसी उपधारण करने का आधार है कि अभियुक्तगण मो० सऊद, मो० सफात, मो० समीर, अय्युब उर्फ बाबू खां तथा हसनैन द्वारा धारा– 147,148, 149, 307, 504, 506 भा०दं०सं० से सम्बन्धित परीक्षणीय अपराध किया गया है। अतः अभियुक्तगण मो० सऊद, मो० सफात, मो० समीर, अय्युब उर्फ बाबू खां तथा हसनैन के विरूद्ध धारा– 147,148, 149, 307, 504, 506 भा०दं०सं० का आरोप बनाने का पर्याप्त आधार है।

अभियुक्तगण मो० सऊद, मो० सफात, मो० समीर, अय्युब उर्फ बाबू खां तथा हसनैन के विरूद्ध धारा– 147,148, 149, 307, 504, 506 **भा०दं०सं०** का आरोप पृथक पृष्ठ पर विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण द्वारा कथित आरोप से इन्कार करते हुए परीक्षण की माँग की गयी। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक–26.08.2024 को पेश हो।

(अमित कुमार पाण्डे)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

Digitally signed by Amit Kumar Pande
Date: 2024.08.17 10:25:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, raebareli

<u>न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।</u>

पीठासीन अधिकारी–**अमित कुमार पाण्डे**

उच्चतर न्यायिक सेवा– UP06246

सत्र परीक्षण संख्या–73/2024

<u>राज्य बनाम हसनैन आदि</u>

<u>आरोप</u>

मैं, अमित कुमार पाण्डे द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायबरेली आप अभियुक्तगण मो० सऊद, मो० सफात, मो० समीर, अय्युब उर्फ बाबू खां तथा हसनैन को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ–

प्रथम– यह कि दिनांक–14–07–2023 को समय 18:30 बजे, निवासी–निजामपाकर, मजरे–मोहना, , थाना–जायस, जिला–अमेठी में आप लोगों ने एक राय होकर विधि विरूद्ध जमाव करके वादी मुकदमा तथा वादी मुकदमा का भतीजा सहादत हुसैन को लोहे की राड, असलहा लेकर जान से मारने की नीयत से दौड़ाये तथा बल्बा कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने **धारा–147 भारतीय दण्ड संहिता** के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा व वादी मुकदमा के भतीजे सहादत हुसैन को लोहे की राड तथा असलहा आयुध से सुसज्जित होते हुए बल्बा कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने धारा–**148 भारतीय दण्ड संहिता** के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा तथा वादी मुकदमा के भतीजे सहादत हुसैन को लोक शान्ति को भंग करने, प्रकोपित करने के आशय से या अन्य अपराध कारित करने के आशय से गालियां देकर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने धारा–**504 भारतीय दण्ड संहिता** के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा तथा वादी मुकदमा के भतीजे सहादत हुसैन को जान से मारने की धमकी देकर अपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने धारा–**506 भारतीय दण्ड संहिता** के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस नयायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचम– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने विधि विरूद्ध जमाव करके, सामान्य उद्येश्य के अग्रसर में वादी मुकदमा तथा भतीजे सहादत हुसैन को लोहे की राड से मारा–पीटा तथा जान से मारने की नियत से असलहे से फायर कर दिया, यदि आप लोगों के उक्त कृत्य से किसी की मृत्यु हो जाती तो आप लोग हत्या कारित करने के दोषी होते। इस प्रकार आप लोगों ने धारा– **307/149 भारतीय दण्ड संहिता** के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा, आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक–16.08.2024

(अमित कुमार पाण्डे)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

आरोप पढ़कर अभियुक्त को सुनाया व समझाया गया, उसने दोषी होने का अभिवाक् नहीं किया तथा विचारण चाहा।

दिनांक–16.08.2024

(अमित कुमार पाण्डे)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।